प्रेस नोट

दिनांक 29.05.2025

थाना राठ पुलिस द्वारा हत्या का वांछित 25,000/- रुपये का इनामिया अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक 22/23.05.2025 की रात्रि अनिल राजपूत पुत्र राजेश कुमार (उम्र करीब 30 वर्ष) व गीता देवी पत्नी अनिल राजपूत (उम्र करीब 26 वर्ष) निवासीगण ग्राम चिल्ली थाना राठ जनपद हमीरपुर अपने घर में सो रहे थे। सोते समय किसी अज्ञात के द्वारा उनके सिर पर चोट पहुंचाई गई। जिससे गीता देवी की मौके पर ही मृत्यु हो गई तथा अनिल राजपूत घायल हो गए सूचना पर थाना राठ पुलिस बल फील्ड यूनिट टीम के साथ मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गई, शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा/पोस्टमार्टम की गई। घटना के सम्बन्ध में थाना पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 244/2025 धारा 333,103(1),109 भा0न्या0सं0 बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक जनपद हमीरपुर द्वारा घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 29.05.2025 को थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 244/2025 धारा 333, 103(1), 109 बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु थाना राठ पुलिस ग्राम बहपुर नदना के पास बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के नीचे मामूर थी कि इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम चिल्ली में महिला की हत्या एवं उसके पति को घायल करने की घटना को अंजाम देने वाला अभियुक्त रामबाबू विश्वकर्मा इस समय ग्राम चिल्ली में ही स्थित अपने चाचा के ट्यूबवेल के पास मौजूद है। उक्त सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचकर घेराबंदी की गई, तभी अभियुक्त रामबाबू विश्वकर्मा पुलिस टीम को आता देख भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा पीछा कर घेराबंदी कर टोका गया तो अभियुक्त ने जान से मारने की नियत से पुलिस टीम पर फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्यवाही में अभियुक्त रामबाबू विश्वकर्मा के दोनों पैरों में गोली लगी। अभियुक्त को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस, 01 अदद खोखा कारतूस नाजायज 315 बोर, 01 अदद ट्रैक्टर की टापलिन (आला कत्ल) तथा एक बैग जिसमें अभियुक्त द्वारा घटना के समय पहने हुए खून से सनी टी-शर्ट, गमछा व 2,155 रुपये बरामद करते हुए घायल अभियुक्त रामबाबू विश्वकर्मा को उपचार हेतु अस्पताल भेजवाया गया ।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त रामबाबू विश्वकर्मा पुत्र चरन सिंह निवासी ग्राम चिल्ली थाना राठ जनपद हमीरपुर ने पूछताछ में बताया कि दिनांक 22/23.05.2025 की रात को चोरी करने के नियत से अपने गांव में ही अनिल राजपूत के घर में घुसा था उसी दौरान अनिल व उसकी पत्नी जग गये तब उसने ट्रैक्टर के टापलिन से उनके सिर पर चोट पहुंचाकर तथा छोटी बच्ची को भी चोट पहुंची थी। अभियुक्त रामबाबू ने पहले भी जनपद जालौन में नृशंस तरीके से सिर में लोहे की राड मारकर 02 हत्या करने की बात बतायी है।

आज हुई मुठभेड के सम्बन्ध में थाना राठ जनपद हमीरपुर पर अभियुक्त रामबाबू विश्वकर्मा पुत्र चरन सिंह निवासी ग्राम चिल्ली थाना राठ जनपद हमीरपुर उम्र करीब 30 वर्ष के विरुद्ध (पुलिस मुठभेड) व आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया जा रहा है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

रामबाबू विश्वकर्मा पुत्र चरन सिंह (उम्र करीब 30 वर्ष) निवासी ग्राम चिल्ली थाना राठ जनपद हमीरपुर।

बरामदगी

01 अदद तमंचा 315 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस, 01 अदद खोखा कारतूस नाजायज 315 बोर, 01 अदद ट्रैक्टर की टापलिन (आला कत्ल) तथा एक बैग जिसमें अभियुक्त द्वारा घटना के समय पहने हुए खून से सनी टी-शर्ट, गमछा व 2,155 रुपये बरामद ।

गिरफ्तार अभि0 का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 128/2017 धारा 120-B, 302 भादंस थाना चुर्खी जनपद जालौन ।
2. मु0अ0सं0 57/2018 धारा 302 भादंस थाना डकोर जनपद जालौन ।
3. मु0अ0सं0 295/2024 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना राठ जनपद हमीरपुर ।

गिरफ्तार व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम

1. प्र0नि0 रामआसरे सरोज
2. उ0नि0 विनेश गौतम
3. उ0नि0 शिवम दत्त
4. हे0का0 बृजेन्द्र सिंह
5. का0 अभिषेक राजपूत
6. का0 जितेन्द्र कुमार